न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 121/2012

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 पारस 2 लीलाधर पिसरान पुरूषोतमदास 3 मीरों पत्नी पुरूषोतमदास 4 अशोक कुमार पुत्र सायरमल 5 सुरेश कुमार पुत्र सायरमल के कायम मुकाम 5/1 धापूदेवी पत्नी सुरेश कुमार 5/2 सजना कुमारी 5/3 सरूप 5/4 प्रिया कुमारी 5/5 दीपिका पिसरान सुरेश कुमार (वाद संख्या 5/2 से 5/5 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता धापूदेवी) 6 पीताम्बर 7 कमलकिशोर पिसरान केवलचंद 8 वरजू पत्नी केवलचंद 9 शंकरलाल पुत्र मोती उर्फ मिश्रा के कायम मुकाम 9/1 शैतान 9/2 अशोक कुमार 9/3 नरेश कुमार पिसरान शंकरलाल 9/4 शोभा पुत्री शंकरलाल पत्नी सवाईलाल जाति देशान्तरी निवासी शास्त्री नगर/जटियों का वास बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 मैसर्स गोल्डन डयूनस् रियल स्टेट प्रा.लि. 58 कोसमो कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर निर्देशक बाबूलाल पुत्र आसूलाल जाति ओसवाल निवासी जैन ढाणी मन्दिर के पास बाडमेर 2 बाबूलाल पुत्र आसूलाल निवासी जैन ढाणी मन्दिर के पास, बाडमेर 3 रतनलाल 4 सुरेश कुमार 5 गणपतराज पिसरान मोहनलाल जाति ओसवाल निवासी भगतों की गली, बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 6 तहसीलदार बाडमेर 7 उप पंजीयक बाडमेर 8 मोहन उर्फ लेखराज 9 बाबू उर्फ जयराम पिसरान लालचंद जाति देशान्तरी निवासी बाडमेर हाल निवासी रामगढ जिला जैसलमेर जिला जैसलमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 व 53 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री अम्बालाल जोशी, वकील वादीगण।
2. श्री सुनिल मेराजा, वकील प्रतिवादी संख्या 08 व 09।

निर्णय

दिनांक 13/03/20

संक्षिप्त में प्रतिवादी संख्या 08 मोहन उर्फ लेखराज व प्रतिवादी संख्या 09 बाबु उर्फ जयराम पिसरान लालचन्द ने यह आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा दायर इस वाद की पोषणियता को चुनौति देने हेतु वाद को खारिज करने का निवेदन किया।

प्रस्तुत आवेदन पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। संक्षिप्त में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 1192 रकबा 35.02 बीघा ग्राम बाडमेर शहर में स्थित है, जो नवलाराम व मोतीराम पिसरान दानाराम के स्वामित्व एवं कब्जा काश्त की होने से वक्त भू–प्रबन्ध उनके नाम दर्ज हुई। इस आवेदन के अनुसार इस वादग्रस्त आराजी के खातेदार नवला व मोती के अन्य दो भाई क्रमशः मिसरीराम व लालचन्द थे, जिनका इस वादग्रस्त आराजी एवं खसरा संख्या 1192 रकबा 35.02 बीघा मौजा बाडमेर शहर में कोई हक हिस्सा नही था और इस तहत आराजी के खातेदार नवला व मोती को इस वादग्रस्त भूमि का बेचान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त थे।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1192 रकबा 35.02 बीघा के खातेदार नवला व मोती ने संयुक्त रूप से इस वादग्रस्त आराजी का पंजीबद्ध बेचान अपने छोटे भाई स्व. लालचन्द के पुत्रों प्रतिवादी संख्या 08 व 09 तथा उनकी माता श्रीमती भेतीदेवी को कर कब्जा सौंप दिया। यह बेचान दिनांक 27.07.1964 को उप पंजीयक कार्यालय बाड़मेर से पंजीबद्ध हुआ। उक्त बेचान हो जाने के पश्चात इस वादग्रस्त आराजी से नवलाराम व मोतीराम को कोई भी अधिकार शेष नही रहा है। जब नवलाराम व मोतीराम ने अपनी वादग्रस्त खातेदारी जोत का पंजीबद्ध बेचान प्रतिवादी संख्या 08 व 09 को कर दिया तो वादीगण के पास इसी आराजी बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद दायर करने का कोई अधिकार नही रहता। प्रतिवादी संख्या 08 व 09 तथा प्रतिवादीगण की माता के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का जो विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया है, उसे किसी भी सक्षम न्यायालय मे न तो निरस्त किया है और न ही शून्य अथवा निस्प्रभावी घोषित किया है। अतः प्रतिवादीगण के पक्ष में निस्पादित पंजीबद्ध विक्रय पत्र संख्या 427/64 अस्तित्व में है, वादीगण द्वारा दायर यह वाद विधि वर्जित है और इस कारण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के प्रावधान के तहत काबिल खारिज है।

यह भी प्रकट किया कि वादग्रस्त आराजी का पंजीबद्ध बैचान प्रतिवादी संख्या 08 व 09 का नवला व मोती द्वारा कर देने का वादीगण को प्रारम्भ से ही ज्ञान है। उन्होने इस तथ्य को छिपा कर यह वाद पेश किया है, परन्तु न्यायालय के सामने तथ्य व दस्तावेज आ जाने से यह स्थापित हो चुका है कि वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदारान ने पंजीबद्ध बेचाननामा से अपने खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरण प्रतिवादी संख्या 08 व 09 के पक्ष में कर दिया है। ऐसी दशा मे प्रतिवादी संख्या 08 व 09 के पक्ष में निस्पादित विक्रय पत्र सिविल न्यायालय से निरस्त नही करा दिया जाता, वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के प्रावधानों के अनुसार भी राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नही है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 08 व 09 के पक्ष में हुए इस आराजी के पंजीबद्ध बेचान को बिना निरस्त कराये यह खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया है, जो विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 08 व 09 द्वारा प्रस्तुत इस आवेदन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश कर आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब दिया कि आवेदन में अंकित दिनांक 27.07.1964 को बैचान पत्र गलत व बेनामी है। नवला व मोती ने प्रतिवादी संख्या 08 व 09 को कोई बेचान किया ही नही। मोती के लाऔलाद फौत होने का तथ्य गलत है। वादीगण एवं मिश्री एक

Scanned with CamScanner

ही व्यक्ति है तथा वादीगण उक्त मोती उर्फ मिश्री के वारिसान है जिन्होने इस आराजी के हिस्सा 1/2 को अपनी खातेदारी में घोषित करने का वाद दायर किया है, जिसके वादीगण अधिकारी है।

अपने जवाब में यह भी अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 08 व 09 ने इस आराजी बाबत जो भी कोई कार्रवाई की है, उसमे वादीगण को पक्षकार नही बनाया इस कारण प्रतिवादीगण ने अपने आवेदन में जो तथ्य अंकित किये है, उसका पूर्व में वादीगण को कोई ज्ञान नही था। प्रतिवादी संख्या 08 व 9 द्वारा बताया जा रहा विक्रय दस्तावेज बेनामी है, जिसका राजस्व रेकर्ड में अंकन नही हुआ है प्रतिवादी संख्या 08 व 09 ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से दुर्भिसन्धी कर यह आवेदन पेश किया है। अपने इस जवाब में यह प्रकट किया कि प्रतिवादीगण के इस आवेदन में कोई भी विधिक बिन्दु नही है। अतः जवाब दावा के बाद तनकीयात व साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद निर्णित किया जाये और प्रतिवादी संख्या 08 व 09 के इस आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आवेदन को खारिज किया जावें।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान वकीलों प्रतिवादी संख्या 08 व 09 ने अपने आवेदन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि वादग्रस्त आराजी के भू–प्रबन्ध के खातेदारान नवला व मोती ने अपनी संयुक्त खातेदारी जोत का पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या 427/64 से बेचान प्रतिवादी संख्या 08 व 09 व उनकी माता को कर दिया था। यह तथ्य इन प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी से स्पष्ट है और उनके पक्ष में संधारित पंजीबद्ध पत्र संख्या 427/64 अस्तित्व में है तब तक वादीगण इस वादग्रस्त आराजी को अपने खातेदारी में घोषित कराने का वाद राजस्व न्यायालय में नही ला सकते अपनी और से 1988 आरआरडी पृष्ठ 198, 1996 आरआरडी 94, 1992 आरआरडी 212 व 1986 आरआरडी 298 पेश किये। विद्वान वकील वादी ने अपने पक्ष में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण के पक्ष में निस्पादित विक्रय पत्र को गलत व बेनामी बताया तथा मुख्यतौर पर इस बात पर बल दिया कि प्रतिवादी संख्या 08 व 09 से जवाब दावा प्राप्त कर दावा व जवाबदावा के आधार पर निर्णायक बिन्दु कायम किये जाये और साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित किया जाये। अपने पक्ष की पुष्टी हेतु 2019 डीएनजे (एससी) 1036, 2019 (1) आरआरटी 116 व 2018–19 (Supp.), आरआरटी 272 प्रस्तुत किये।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का सम्मान पूर्वक अध्ययन किया। वादग्रस्त आराजी वक्त भू–प्रबन्ध

Scanned with CamScanner

नवला व मोती पिसरान दाना के नाम दर्ज हुई, इन्ही के नाम से भू–प्रबन्ध विभाग ने वादग्रस्त खसरा संख्या 1192 रकबा 35.02 बीघा का पर्चा लगान जारी किया और इस प्रकार इस आराजी के नवला व मोती विधिमान्य खातेदार थे, जिन्हे अपनी खातेदारी जोत का हस्तान्तरण बैचान करने का पूर्ण अधिकार था तथा उन दोनों ने मिलकर उक्त आराजी का पंजीबद्ध बेचान जरिये दस्तावेज संख्या 427/64 प्रतिवादी संख्या 08 व 09 व उनकी माता मुस्मात मेतीदेवी के पक्ष में कर दिया और इस बेचान के कारण वादग्रस्त आराजी से नवला व मोती के अधिकार खातेदारी समाप्त हो गये। नवला व मोती द्वारा जो प्रतिवादी संख्या 08 व 09 के पक्ष में बेचान दस्तावेज संख्या 427/64 पंजीबद्ध कराया था, उसे किसी भी पक्ष ने न तो चुनौति दी है और न किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त कराया है। यह विक्रय दस्तावेज संख्या 427/64 प्रभाव में है तथा इसी पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अस्तित्व में रहते वादीगण ने जो खातेदारी घोषणा का वाद इसी वादग्रस्त आराजी बाबत् किया है वह विधि वर्जित है।

अतः प्रतिवादी संख्या 08 व 09 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है और वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 13/03/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 पारस 2 लीलाधर पिसरान पुरूषोतमदास 3 मीरों पत्नी पुरूषोतमदास 4 अशोक कुमार पुत्र सायरमल 5 सुरेश कुमार पुत्र सायरमल के कायम मुकाम 5/1 धापूदेवी पत्नी सुरेश कुमार 5/2 सजना कुमारी 5/3 सरूप 5/4 प्रिया कुमारी 5/5 दीपिका पिसरान सुरेश कुमार (वाद संख्या 5/2 से 5/5 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता धापूदेवी) 6 पीताम्बर 7 कमलकिशोर पिसरान केवलचंद 8 वरजू पत्नी केवलचंद 9 शंकरलाल पुत्र मोती उर्फ मिश्रा के कायम मुकाम 9/1 शैतान 9/2 अशोक कुमार 9/3 नरेश कुमार पिसरान शंकरलाल 9/4 शोभा पुत्री शंकरलाल पत्नी सवाईलाल जाति देशान्तरी निवासी शास्त्री नगर/जटियों का वास बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 मैसर्स गोल्डन डयूनस् रियल स्टेट प्रा. लि. 58 कोसमो कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर निर्देशक बाबूलाल पुत्र आसूलाल जाति ओसवाल निवासी जैन ढाणी मन्दिर के पास बाडमेर 2 बाबूलाल पुत्र आसूलाल निवासी जैन ढाणी मन्दिर के पास, बाडमेर 3 रतनलाल 4 सुरेश कुमार 5 गणपतराज पिसरान मोहनलाल जाति ओसवाल निवासी भगतों की गली, बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 6 तहसीलदार बाडमेर 7 उप पंजीयक बाडमेर 8 मोहन उर्फ लेखराज 9 बाबू उर्फ जयराम पिसरान लालचंद जाति देशान्तरी निवासी बाडमेर हाल निवासी रामगढ जिला जैसलमेर जिला जैसलमेर।

दावा बाबत् **88, 91, 188, 209** व **53** रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 121/2012
निर्णय दिनांक :– 13/03/20

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 08 व 09 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13/03/20 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

प्रतिवादी संख्या 08 व 09 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है और वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 13/03/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner